/

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10/08/2023

क्रमांक F-1/1/4/0054/2023/Sec-1-10:: राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित मानचित्रकारों को स्वयं के व्यय पर कॉलम-3 में उल्लेखित पदस्थापना से स्थानांतरित करते हुये कॉलम-4 में उल्लेखित पदस्थापना पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्र.	मानचित्रकार का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	कु. दीप्ति सिमैया	सामान्य वनमण्डल रायसेन	कार्य आयोजना बैतूल
2.	श्री मुकेश बाथम	मुख्य वन सरंक्षक एवं संचालक सिंह परियोजना शिवपुरी	सामान्य वनमण्डल ग्वालियर
3.	श्री अश्विनी पटेल	पश्चिम बैतूल वनमण्डल	मुख्य वनसंरक्षक नर्मदापुरम
4.	श्री योगेश कुमार लोधी	सामान्य वनमण्डल हरदा	सामान्य वनमण्डल रायसेन

उक्त स्थानांतरण में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेः-

1. (i) स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारियों से भारमुक्त करने से पूर्व नवीन पदस्थापना वाले जिले (वनमण्डल) में उनके संवर्ग में उनकी वरीयता कनिष्ठतम होने संबंधी स्वयं की लिखित सहमति ली जावे, वरीयता कनिष्ठतम होने के संबंध में कर्मचारी द्वारा यदि लिखित में सहमति नहीं दी जाती है तो संबंधित को भारमुक्त न करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।) को तत्काल अवगत करावें।

(ii) वरीयता कनिष्ठतम होने संबंधी प्रविष्टी संबंधित शासकीय सेवक की **सेवा पुस्तिका** में अंकित की जावे तदुपरान्त ही भारमुक्त किया जाये। संबंधित जिला के अंतर्गत स्थानांतरित कर्मचारी की उस जिले में पदस्थ कनिष्ठतम कर्मचारी के नीचे वरीयता निर्धारित की जावे।

3. भारमुक्त करने से पूर्व वरीयता कनिष्ठतम होने संबंधी लिखित सहमति नही लिये जाने पर संबंधित स्थापना प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

3. स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारी की वरीयता का निर्धारण म.प्र.शासन वन विभाग के पत्र क्र./ 241/5759/10-1 दि. 21.12.1979 एवं पत्र क्र. 6961/10-1/86 दिनांक 10/8 अगस्त 1986 के प्रावधान अनुसार उनके नवीन पदस्थति वाले वनमण्डल/जिले में उपस्थिति की दिनांक से किया जावेगा।
4. स्थानांतरित कर्मचारी के भारमुक्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही नवीन पदस्थिति वाले कार्यालय द्वारा की जावेगी।
5. स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारियों को यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
6. आदेश जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित कर्मचारी को स्थानीय व्यवस्था से अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

10/8/23

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 कमांक F-1/1/4/0054/2023/Sec-1-10, भोपाल, दिनांक 10/08/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी..
7. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
8. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
9. संबंधित..द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) सतपुड़ा भवन भोपाल।
10. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10/8/23

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग